[2018] 14 एस.सी.आर. 462

संगीता अग्रवाल और अन्य।
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 1543) 03 दिसंबर, 2018

[अभय मनोहर सप्रे और इंदु मल्होत्रा, जेजे।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 482 - कार्यवाही को रद्द करना - धारा 498 ए, 304 बी आईपीसी के तहत दायर शिकायत - धारा 482 के तहत दायर कार्यवाही को रद्द करने के लिए आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई अपील पर, कहा गया: उच्च न्यायालय ने तथ्यात्मक विवाद की गुणदोष विवेचन करने के उद्देश्य से मामले के मूल तथ्यों का उल्लेख नहीं किया - उच्च न्यायालय को पहले मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को समझने के लिए मामले के संक्षिप्त तथ्यों को निर्धारित करना चाहिए था और फिर कार्यवाही को दी गई चुनौती की जांच और फिर अपने निष्कर्ष को दर्ज करना चाहिए था कि किस आधार और कारणों से, किसी भी हस्तक्षेप के लिए मामला बनता है या नहीं - मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेजा जाता है - दंड संहिता, 1860 - धारा 498 ए और 304 बी।

अपील की अनुमति देते हुए और मामले को उच्च न्यायालय को सौंपते हुए, अदालत

ने कहा: एकल न्यायाधीश को पहले मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को समझने के लिए मामले के संक्षिप्त तथ्यों को निर्धारित करना चाहिए था और फिर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों के प्रकाश में कार्यवाही को दी गई चुनौती की जांच करनी चाहिए थी और फिर अपने निष्कर्ष को दर्ज करना चाहिए था कि किस आधार और कारणों पर, किसी भी हस्तक्षेप के लिए मामला बनता है या नहीं। मामले के निस्तारण के लिए पहुंचे निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए हर आदेश में यह कम से कम आवश्यक है यह उच्चतर न्यायालय को इस सवाल की जांच करने में सक्षम बनाता है कि क्या निचली न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क तथ्यात्मक और कानूनी रूप से टिकाऊ है। यह कार्य उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय नहीं किया गया था और इसलिए हस्तक्षेप की आवश्यकता है। [पैरा 10, 11 और 12] [464-डी-एफ]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:

2018 की आपराधिक अपील संख्या 1543।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-482 संख्या-31729/18 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 12.09.2018 से।

अपीलकर्ताओं के वकील प्रवीण स्वरूप, सुश्री चित्रा चौधरी, शशांक सिंह, प्रशांत चौधरी।

न्यायालय का निर्णय

अभय मनोहर सप्रे, जे.द्वारा किया गया

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.2018 को पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) की धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन की संख्या 31729 /2018 है, को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने

अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया था।

3. इस अपील में शामिल छोटे विवाद की गुणदोष विवेचन करने के लिए कुछ तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

4. आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने संहिता की धारा 482 के तहत दायर अपीलकर्ताओं के आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें दिनांक 12.06.2018 के आरोप पत्र के साथ-साथ 2018 के केस नंबर 2767 (राज्य बनाम अरविंद और अन्य) मु0 अ 0 सं0-79/18 अ. धारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 304 बी (इसके बाद "आईपीसी" के रूप में संदर्भित) और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 पुलिस स्टेशन धामपुर, जिला बिजनौर जो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिजनौर के समक्ष लंबित है, की पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की चुनौती दी गयी थी।

5. इस अपील में विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है, वह यह है किं क्या उच्च न्यायालय द्वारा सहिता की धारा 482 के तहत दायर अपीलकर्ताओं के आवेदन को खारिज करना उचित था।

6. अपीलकर्ताओं के वकील श्री प्रवीण स्वरूप की बात सुनी। उत्तरदाताओं की ओर से कोई पेश नहीं हुआ।

7. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, हम आक्षेपित आदेश को रद्द करने और अपीलकर्ताओं के आवेदन पर जिससे यह अपील उत्पन्न होती है, दूसरे पक्ष को नोटिस के बाद कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने के लिए इच्छुक हैं।

8. आक्षेपित आदेश के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि एकल न्यायाधीश ने पैरा 2 से समापन पैरा तक संहिता की धारा 482 के तहत दायर मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए जिससे यह अपील उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित कई निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों को उद्धृत किया है, लेकिन तथ्यात्मक विवाद की गुणदोष विवेचन करने की दृष्टि से मामले के तथ्यों का उल्लेख करने में विफल रहे हैं। जैसे, अपीलकर्ताओं के खिलाफ दायर शिकायत/एफआईआर की प्रकृति क्या है, जिन आरोपों पर यह दायर की गई है, किसने इसे दायर किया है, अपीलकर्ताओं द्वारा शिकायत/एफआईआर/कार्यवाही को किस आधार पर चुनौती दी गई है, संहिता की धारा 482 के तहत ऐसे आधार क्यों नहीं बनाए जाते हैं आदि।

9. इसलिए, हम इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में निर्धारित कानूनी सिद्धांतों को पढ़ने के अलावा मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को जानने के लिए विफल हैं।

10. हमारे विचार में, एकल न्यायाधीश को पहले मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को समझने की दृष्टि से मामले के संक्षिप्त तथ्यों को निर्धारित करना चाहिए था और फिर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों के प्रकाश में कार्यवाही को दी गई चुनौती की जांच करनी चाहिए थी और फिर अपने निष्कर्ष को दर्ज करना चाहिए था कि किस आधार और कारणों से, किसी भी हस्तक्षेप के लिए मामला बनता है या नहीं।

11. हमारे विचार में, मामले के निपटान के लिए पहुंचे निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए हर आदेश में यह कम से कम आवश्यक है। यह उच्च न्यायालय को इस सवाल की जांच करने में सक्षम बनाता है कि क्या नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क तथ्यात्मक और कानूनी रूप से टिकाऊ है।

12. हम पाते हैं कि उपरोक्त कार्य उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय नहीं किया गया था और इसलिए हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
13. इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन के इस तरह के निस्तारण से सहमत होने में असमर्थ हैं और आक्षेपित आदेश को रद्द करने और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को नोटिस जारी करने के बाद उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार गुणदोष के आधार पर आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने के अनुरोध के साथ मामले को उच्च न्यायालय (एकल न्यायाधीश) को प्रतिप्रेषित करने के इच्छुक महसूस करते हैं।

14. अपने तर्क के आलोक में मामले के प्रतिप्रेषण के लिए एक राय बनाने के बाद, हम मामले के गुण-दोष में जाना उचित नहीं समझते हैं।

15. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील सफल होती है और तदनुसार स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है। प्रतिवादियों को नोटिस के बाद इस आदेश में हमारी किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए मामले को उच्च न्यायालय के पास प्रतिप्रेषित किया जाता है। मामले को उच्च न्यायालय प्रतिप्रेषित किया जाता है।

देविका गुजराल

Digitally signed by Pran Vijay Singh
Date: 2023.10.28 15:11:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court